

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—46/2019 (2019/00121) वादपत्र

अनवान

1. उदयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
 - 1/1. कंचनकंवर पत्नि उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 - 1/2. जितेन्द्रसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 - 1/3. दशरथकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 - 1/4. मरूधरकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता भैरूलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश पिता सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. माया पुत्री सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नोशरदेवी पत्नि सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुन्दर पत्नि सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रोशन पिता भैरूलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शंकरी पुत्री भैरूलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बाली पुत्री भैरूलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद—

अधिवक्ता वादी

दिनांक 22.02.2022

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 16.02.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1068 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 1069 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1070 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 1084 रकबा 0.41 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.24 है0 में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यू रेकार्ड में



खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 29.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 1069 रकबा 0.20 है, आराजी संख्या 1070 रकबा 0.40 है, आराजी संख्या 1084/1 रकबा 0.02 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है। भूमि उदयसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत मृतक के वारीसान कंचनकंवर पत्नि उदयसिंह, जितेन्द्रसिंह पिता उदयसिंह, दशरथकंवर मरुधरकंवर पुत्रीयां उदयसिंह राजपूत सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1068 रकबा 0.23 है, आराजी संख्या 1084/2 रकबा 0.39 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है। भूमि जगदीश पुत्र सुखलाल 1/25, नोसरदेवी पत्नि सुखलाल 1/25, बाली पुत्री भैरूलाल 1/5, भंवरलाल पुत्र भैरूलाल 1/5, माया पुत्री सुखलाल 1/25, रामेश्वर पुत्र सुखलाल 1/25, रोशन पुत्र भैरूलाल 1/5, शंकरी पुत्री भैरूलाल 1/5, सुन्दरदेवी पत्नि सुखलाल 1/25 जाट सा. देह खातेदार के नाम पर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
22/02/2022
(सुन्दरलाल बम्बोजा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—46/2019 (2019/00121) वादपत्र

अनवान

1. उदयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1. कंचनकंवर पत्नि उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2. जितेन्द्रसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3. दशरथकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/4. मरुधरकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता भैरूलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश पिता सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. माया पुत्री सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नोशरदेवी पत्नि सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुन्दर पत्नि सुखलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रोशन पिता भैरूलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शंकरी पुत्री भैरूलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बाली पुत्री भैरूलाल निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 1069 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1070 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 1084/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 भूमि उदयसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत मृतक के वारीसान कंचनकंवर पत्नि उदयसिंह, जितेन्द्रसिंह पिता उदयसिंह, दशरथकंवर मरुधरकंवर पुत्रीयां उदयसिंह राजपूत सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1068 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 1084/2 रकबा 0.39 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 भूमि जगदीश पुत्र सुखलाल 1/25, नोसरदेवी पत्नि सुखलाल 1/25, बाली पुत्री भैरूलाल 1/5, भंवरलाल पुत्र भैरूलाल 1/5, माया पुत्री सुखलाल 1/25, रामेश्वर पुत्र सुखलाल 1/25, रोशन पुत्र भैरूलाल 1/5, शंकरी पुत्री भैरूलाल 1/5, सुन्दरदेवी पत्नि सुखलाल 1/25 जाट सा. देह खातेदार के नाम पर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.02.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(Signature)
22.02.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा